प्रमाणित नकल

[illegible]

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर
पर० व त० नवाबगंज
जिला बरेली

निर्णय

प्रस्तुत वाद राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट बी0 65 एकता नगर बरेली द्वारा सचिव राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुकुट बिहारी लाल नि0 20 उत्कर्ष महानगर बरेली के द्वारा आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 219 रकबा 0.089हे0 व गाटा सं0 224 रकबा 0.076हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 255 रकबा 0.036हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 271 रकबा 1.928 का 4/5 भाग क्षेत्रफल 1.471हे0 व गाटा सं0 277 रकबा 0.956हे0 मे 1/2 भाग रकबा 0.478हे0 व गाटा सं0 278 रकबा 0.290हे0 पूर्ण अंश कुल रकबा 2.440 हे0 के संकमणीय भूमिधर है उपरोक्त गाटा संख्याओ को आकृषिक भूमि घोषित करने की कृपा की जाये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नवाबगंज से आख्या मांगी गई। तहसीलदार नवाबगंज ने अपनी आख्यानुसार ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 219 रकबा 0.089हे0 व गाटा सं0 224 रकबा 0.076हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 255 रकबा 0.036हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 271 रकबा 1.928 का 4/5 भाग क्षेत्रफल 1.471हे0 व गाटा सं0 277 रकबा 0.956हे0 मे 1/2 भाग रकबा 0.478हे0 व गाटा सं0 278 रकबा 0.290हे0 पूर्ण अंश कुल रकबा 2.440 हे0 के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप मे बतौर दर्ज है। उपरोक्त गाटा संख्याओं मे कृषि कार्य कुक्कुट पालन इत्यादि प्रयोजन मे नही लाया जा रहा है। उपरोक्त गाटा संख्याओ पर शिक्षण संस्थान का विस्तार व निर्माण कार्य जो निर्माणाधीन है। उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 116 की कार्यवाही तथा मालियत का एक प्रतिशत राजकोष मे जमा कराने के उपरान्त अकृषक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

मैने पत्रावली पर अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से विदित होता है कि ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 219 रकबा 0.089हे0 व गाटा सं0 224 रकबा 0.076हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 255 रकबा 0.036हे0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 271 रकबा 1.928 का 4/5 भाग क्षेत्रफल 1.471हे0 व गाटा सं0 277 रकबा 0.956हे0 मे 1/2 भाग रकबा 0.478हे0 व गाटा सं0 278 रकबा 0.290हे0 पूर्ण अंश कुल रकबा 2.440 हे0 राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट बी0 65 एकता नगर बरेली द्वारा सचिव राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुकुट बिहारी लाल नि0 20 उत्कर्ष महानगर बरेली के नाम संकमणीय भूमिधर काश्तकार के रूप मे दर्ज है। तहसीलदार नवाबगंज द्वारा उपरोक्त गाटा संख्याओ को अकृषक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के कुल मूल्यांकन का 1 प्रतिशत धनराशि 82890/-रु0 दिनांक 28.05.2019 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवाबगंज मे जमा की जा चुकी है। जिसके चालान की मूल प्रति पत्रावली मे उपलब्ध है एवं महानिरीक्षक निबन्धन महोदया उ0प्र0 लखनऊ के महत्वपूर्ण पत्र संख्या 2893/सि0का0लख0/2018 तददिनांक 30.08.2018 के अनुपालन मे कृगि दर आगणित सम्बन्धित भूमि

के मूल्य के 1 प्रतिशत धनराशि के बराबर कोर्ट फीस स्टाम्प 83000/–रू0 का प्रार्थी से लिया गया है जो संलग्न पत्रावली एवं कोर्ट द्वारा विधिवत् मोहर लगाकर स्टाम्प निरस्त किये जा चुके है। पत्रावली मे संलग्न फोटोग्राफ से विदित है कि उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य नही हो रहा है। अतः उपरोक्त के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या के आधार पर ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बरेली के गाटा सं0 219 रकबा 0.089है0 व गाटा सं0 224 रकबा 0.076है0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 255 रकबा 0.036है0 का पूर्ण अंश व गाटा सं0 271 रकबा 1.928 का 4/5 भाग क्षेत्रफल 1.471है0 व गाटा सं0 277 रकबा 0.956है0 मे 1/2 भाग रकबा 0.478है0 व गाटा सं0 278 रकबा 0.290है0 पूर्ण अंश कुल रकबा 2.440 है0 राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट सी0 65 एकता नगर बरेली द्वारा सचिव राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुकुट बिहारी लाल नि0 20 उत्कर्ष महानगर बरेली को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत बागवानी, कुक्कुट एवं मछली से असंबद्ध अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 29-06-19

(अलंकार अग्निहोत्री)
उपजिलाधिकारी,
नवाबगंज,बरेली।

सत्य प्रतिलिपि